



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25092026-276508
CG-UP-E-25092026-276508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5029]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 5029]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना (शुद्धिपत्र)

गोरखपुर, 23 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A के अन्तर्गत

का.आ. 5236(अ).— भारत सरकार, रेल मंत्रालय, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा विशेष रेलवे परियोजना “एटा-कासगंजनई रेल लाइन परियोजना (29.00 कि.मी.)” के निष्पादन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद कासगंज, तहसील कासगंज, ग्राम नसरतपुर, कुरामई, बाकनेर एवं बरेला में भूमि अर्जित किए जाने के आशय से रेलवे अधिनियम, 1989 (1989का 24) की धारा 20A की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1812(अ), दिनांक: 21.04.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी;

और उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (4) के अधीन हिंदी दैनिक समाचार पत्र “दैनिक जागरण, आगरा” दिनांक: 30.04.2025 एवं “दी हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली/मेट्रो” दिनांक: 30.04.2025 को प्रकाशित किया गया था।

और जबकि, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या 7 पर भूमि का गाटा संख्या “53” अंकित हो गया था, जबकि सही गाटा संख्या “56” है;

अतः अब, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 7 के सामने अंकित “गाटा संख्या 53” को “गाटा संख्या 56” पढ़ा जाय।

तदनुसार, सम्बन्धित प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ी जाएगी:

क्र.संख्या	जिला	तहसील	गांव का नाम	प्लॉट संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
7	कासगंज	कासगंज	बरेला	56	0.324000	0.274155

उक्त अधिसूचना की अन्य सभी विषय-वस्तु, विवरण, नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

यह शुद्धिपत्र उक्त अधिसूचना का अभिन्न अंग माना जाएगा।

[फा. सं. W/247/BG/LJN/ETAH-KASGANJ/NL/LA/1]

अनुज मित्तल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION (CORRIGENDUM)

Gorakhpur, the 23rd September, 2026

Under Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5236(E).— Whereas, the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways, North Eastern Railway/Construction Organization, Notification No. **S.O. 1812(E), dated 21.04.2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), regarding declaration of intention to acquire land for the Special Railway Project namely “**Etah-Kasganj New Railway Line Project (29.00 Km.)**” in Village Nasratpur, Kuramai, Bakner & Barela, Tehsil Kasganj, District Kasganj, State of Uttar Pradesh, was issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989);

And whereas, the substance of the said notification was published in the daily Hindi News Paper “Dainik Jagran, Agra” dated: 30.04.2025 and daily English News Paper “The Hindustan Times, New Delhi/Metro” dated: 30.04.2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, in the Schedule annexed to the said notification, the Gata No. of the land at Serial No. 7 was inadvertently mentioned as “53” instead of the correct Gata No. “56”;

Now, therefore, in the said notification, in the Schedule, against Serial No. 7, the entry “Gata No. 53” shall be read as “Gata No. 56”.

The corrected entry shall accordingly be read as under:

S. No.	District	Tehsil	Village Name	Plot No. / Survey No.	Total Land (In Hect.)	Area proposed for land Acquisition (In Hect.)
7	Kasganj	Kasganj	Barela	56	0.324000	0.274155

All other contents, terms and conditions of the aforesaid notification shall remain unchanged.

This corrigendum shall form an integral part of the aforesaid notification.

[F. No. W/247/BG/LJN/ETAH-KASGANJ/NL/LA/1]

ANUJ MITTAL, Chief Administrative Officer/Construction